

Excavation in district Harsud (M.P.)

156. SHRI PARMANAND GOVIND-JIWALA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have made any exploration, excavations or archaeological survey of the tehsil Harsud in District East Nimar (Khandwa) of M.P.;

(b) if so, report submitted to Government thereon; and

(c) whether rare archaeological finds are in danger of being destroyed in the above tehsil?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) 212 villages in Tehsil Harsud, District East Nimar have been explored between 1957-61.

(b) The exploration has revealed Stone Age Sites and medieval temple sites at Kota, Khalwa, Punghatkala.

(c) No, Sir.

पब्लिक स्कूलों को समाप्त करना

157. श्री उपरेन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति का यह प्रस्ताव प्राप्त हो गया है कि देश के समस्त पब्लिक स्कूलों को तोड़कर प्राथमिक शिक्षा एक प्रकार की कर दी जाये; और

(ख) उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी) : (क) जी हाँ। पब्लिक स्कूलों को तोड़ने से संविधान जनता पार्टी की कार्यकारी समिति (न कि राष्ट्रीय समिति) का संकल्प प्राप्त हो गया है।

(ख) कानूनी स्थिति का पता लगाने के लिए कि क्या केन्द्रीय सरकार अथवा उसी तरह राज्य सरकार, जिसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में विभिन्न पब्लिक स्कूल स्थित हैं, कानूनी तौर पर किसी अथवा सभी पब्लिक स्कूलों को तोड़ने के लिए कोई कदम उठाने हेतु सक्षम हैं या नहीं, मामले की जांच की गई थी।

जो कानूनी राय दी गई है इस प्रकार है :-

(i) अल्प संख्यकों द्वारा संचालित पब्लिक स्कूल :

संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्प संख्यकों को चाहे वे धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो अपनी पसन्द की शैक्षिक संरथायें स्थापित करने एवं उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा। इसलिए यदि पब्लिक स्कूलों को पूर्णतया समाप्त करने के लिए कदम उठाये जाते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन होगा।

(ii) वाणिज्यिक आषार पर चलने वाले पब्लिक स्कूल :

संविधान द्वारा व्यवसाय, व्यापार अथवा कारोबार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है और यदि हम पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर देते हैं तो उक्त अधिकार का उल्लंघन होगा।

(iii) पब्लिक स्कूलों की रचना किसी कानून अथवा सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता से नहीं हुई है। यदि सम्मेलन को